6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): v srinivas

(b) Father's/Mother's/Husband's Name (पिता / माता / पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1971 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	secretartiat jaipur, ASHOK NAGAR, JAIPUR CITY (SOUTH), RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	secretartiat jaipur, ASHOK NAGAR, JAIPUR CITY (SOUTH), RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): 91-1111111111

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	Mahesh Jhalani			1. jAIPUR,ASHOK NAGAR,JAIPUR CITY (SOUTH),RAJASTHAN,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 173 B.N.S.S.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 173 बी. एन. एस. एस. के अन्तर्गत)

1. **District (जिला):** JAIPUR CITY (SOUTH) **P.S. (थाना):** ASHOK NAGAR **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0153 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 08/05/2026 19:15 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	336(4)
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	356(2)
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	353(2)
4	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	352
5	सूचना प्रोधौगिकी (संशोधन) अधिनियम 2008	66D

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. Day(दिन): रविवार **Date From (दिनांक से):** 26/04/2026 **Date To (दिनांक तक):** 26/04/2026

Time Period (समय अवधि): पहर 1 **Time From (समय से):** 00:00 बजे **Time To (समय तक):** 00:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 08/05/2026 **Time (समय):** 17:30 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 064 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 08/05/2026 18:34:00 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** दक्षिण - पश्चिम, 0.38 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** शासन सचिवालय

(b) **Address(पता):** jaipur

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

अन्तर्गत आपराधिक कार्यवाही हेतु आज ही प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करावे।संलग्न.- उपरोक्तानुसार।(वी. श्रीनिवास) मुख्य सचिव अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग।क्रमांक अ.शा.टीथ/डी.एस./एल./सी.एस./ जनरल / गृह /2012/पार्ट -1 / 9797962 दिनांक 28/04/2026

राजस्थान सरकार गृह (ग्रुप-5) विभाग क्रमांकः प. 9 (12) गृह-5/2026 जयपुर, दिनांक ई-हस्ताक्षरित महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर। पुलिस आयुक्त, जयपुर। विषय सोशल मीडिया फेसबुक पर लिखे गये भ्रामक एवं अपमानजनक आलेख हेतु श्री महेश झालानी, पत्रकार के विरूद्ध पुलिस थाना, अशोक नगर, जयपुर शहर दक्षिण, जयपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने बाबत। महोदय,उपरोक्त विषयान्तर्गत मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर से प्राप्त अशा.टीप कमांक डीएस/एल./सी.एस./जनरल/गृह/ 2012//पार्ट -1 / 9797962 दिनांक 28/04/2026 में वर्णित किया है कि दिनांक 26.04.2026 को इलैक्ट्रोनिक सोशल मीडिया फेसबुक पर प्रकाशित / प्रसारित संलग्न लेख मुख्य सचिव महोदय एवं राज्य प्रशासन की छवि को भ्रामक एवं अपमानजनक रूप से प्रभावित करने वाला है। इस प्रकार के आपत्तिजनक प्रयासों को नियंत्रित करने हेतु इसके विरूद्ध विधिक कार्यवाही आवश्यक है। इस बाबत मुख्य सचिव महोदय द्वारा मेटा/फेसबुक पर दर्ज रिपोर्ट की प्रतिलिपि संलग्न कर, श्री महेश झालानी पत्रकार के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 एवं साईबर काइम के संगत प्रावधानों के अन्तर्गत आपराधिक कार्यवाही हेतु आज ही प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु निर्देशित किया है।

अतः निर्देशानुसार निवेदन है कि श्री महेश झालानी पत्रकार के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 एवं साईबर काइम के संगत प्रावधानों के अन्तर्गत आपराधिक कार्यवाही हेतु आज ही प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने का श्रम करावें एवं कृत कार्यवाही से इस विभाग को अविलम्ब (ई-मेल आईडीhome.security@rajasthan.gov.in भिजवाने का श्रम करावें। संलग्नः-उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,(एल.आर.मीना) शासन उप सचिव, गृह प्रतिलिपिः- पुलिस उपायुक्त, जयपुर दक्षिण को तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। अति-आवश्यक कार्यालय पुलिस आयुक्त जयपुर क्रमांकः-प-6(सी-)पुआ.ज./अप/दक्षिण/2026 / 13305-06 दिनांक-08-05-2026 थानाधिकारी, पुलिस थाना अशोक नगर, जयपुर (दक्षिण)।विषयः-सोशल मीडिया फेसबुक पर लिखे गये भ्रामक एवं अपमानजनक आलेख हेतु श्री महेश झालानी, पत्रकार के विरुद्ध पुलिस थाना अशोक नगर जयपुर दक्षिण में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के संबध में। प्रसंगः-शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-05) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्र क्रमांकः पृष्ठ 9 (12) गृह-5/2026 जयपुर दिनांक 08-05-2026 के सन्दर्भ में। उपरोक्त विषयान्तर्गत प्राप्त प्रासंगिक पत्र मय पत्रादिः संलग्न प्रेषित कर, प्रासंगिक पत्र पर श्रीगान अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) जयपुर द्वारा दिये गये पृष्ठांकित निर्देशानुसार लेख है कि परिवाद में वर्णित मामले में आवश्यक कानूनी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। संलग्नः- उपरोक्तानुसार स्टाफ ऑफिसर पुलिस आयुक्त,जयपुर।

प्रतिलिपिः-पुलिस उपायुक्त, जयपुर (दक्षिण) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।स्टाफ ऑफिसर पुलिस आयुक्त जयपुर।----------कार्यवाही पुलिस ----------प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमान आयुक्त महोदय आयुक्तालय जयपुर शहर से प्राप्त उपरोक्त पत्रांक प्राप्त हुआ जिसकी नकल सीसीटीएनएस में अक्षर स अक्षर दर्ज की गई मजमून रिपोर्ट से अपराध धारा 336(4),356(2),353(2),352 BNS एवं 66D it act का वकु मे आना पाया जाने पर तफतीश श्री मोतीलाल शर्मा पु.नि. के जिम्मे की गई प्रतियां नियमानुसार जारी की जावेगी। FIR N. CCTNS में मर्ज होने पर पृथक से अंकित किये जावेगे।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम): Moti Lal Sharma **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) Refused investigation due to (जाँच के लिए) :

or (के कारण इंकार किया, या)

10. Total value of property stolen(In Rs/-)
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

Journalist Mahesh Jhalni April 26 at 11.46 AM श्रीनिवास ने कर दिया सरकार का बंटाधार प्रदेश में प्रशासनिक विफलता का तांडव महेश झालानी राजस्थान की प्रशासनिक मशीनरी आज एक ऐसे ऐतिहासिक भंवर में फंसी है, जहाँ सतह पर सब कुछ शांत और साफ दिखता है, लेकिन भीतर ही भीतर सिस्टम लकवाग्रस्त हो चुका है। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की व्यक्तिगत ईमानदारी आज प्रदेश के लिए सबसे बड़ा छलावा साबित हो रही है, क्योंकि इसी बेदाग छवि की ओट में प्रशासनिक पंगुता के गहरे घावों को ढका जा रहा है। जमीनी अनुभव का अकाल और कागजी नेतृत्व शासन की विडंबना देखिए कि जिस व्यक्ति के पास राजस्थान की भौगोलिक और सामाजिक नब्ज समझने के लिए जरूरी फील्ड अनुभव का नितांत अभाव है, उसे पूरे प्रदेश की कमान सौंप दी गई। महज साढ़े तीन साल का छिटपुट फील्ड कार्यकाल जिसमें जोधपुर और पाली जैसे जिलों में चंद महीनों की विजिटिंग कार्ड नुमा नियुक्तियां शामिल है, किसी भी नजरिए से मुख्य सचिव की कुर्सी के लिए पर्याप्त नहीं है। जिसने कभी राजस्थान की तपती धूल नहीं फांकी, जिसे गाँवों की जटिलताओं और तहसीलों में जड़ जमाए भ्रष्टाचार का जमीनी इल्म नहीं, वह एयर-कंडीशन्ड कमरों में बैठकर फाइलों के जरिए न्याय का ढोंग कैसे कर सकता है यही अनुभवहीनता आज उनकी लीडरशिप के लिए गले की फांस बन गई है। सचिवालय के गलियारों में यह चर्चा आम है कि प्रशासन आज दौड नहीं रहा, बल्कि घिसट रहा है। जब शीर्ष पर बैठा कप्तान ही दिशाहीन और किंकर्तव्यविमूढ़ हो तो अधीनस्थ अफसरशाही का बेलगाम होना स्वाभाविक है। वरिष्ठ अधिकारियों की नजर में श्रीनिवास एक ऐसे विजन-लेस कप्तान हैं, जिनकी स्पष्टता के अभाव में अधीनस्थ अफसर अपनी-अपनी ढपली पर अपना-अपना राग अलाप रहे हैं। सचिवालय में आदेश केवल कागज पर जन्म लेते हैं और फाइलों में ही दफन हो जाते हैं। फाइलों पर नोटिंग्स का वजन तो बढ़ रहा है, लेकिन जनता के हक में होने वाले फैसलों की रफ़्तार शून्य हो चुकी है। अधीनस्थ अमले में मुख्य सचिव का न खौफ है और न सम्मान। इस प्रशासनिक विफलता को और भी वीभत्स बनाता है श्रीनिवास का आत्ममुग्धता और पब्लिसिटी के प्रति गहरा झुकाव।धरातल पर ठोस काम करने के बजाय, वे अपनी ब्रांडिंग और चर्चाओं में बने रहने को प्राथमिकता दे रहे हैं। यह शोमैनशिप राजस्थान के लिए आत्मघाती सिद्ध हो रही है। ईमानदारी व्यक्तिगत आभूषण हो सकता है, लेकिन जब वह अक्षमता का कवच बन जाए, तो वह पूरे तंत्र के लिए अभिशाप बन जाती है। सचिवालय के गलियारों में एक कड़वा सच यह भी तैर रहा है कि मुख्य सचिव के पास वक्त ही वक्त है, लेकिन दृष्टि नहीं।
चूंकि वे अकेले हैं, इसलिए सुबह 9 बजे ही दफ्तर की कुंडी खोल देते हैं और महावीर जयंती या संक्रांति जैसे अवकाश के दिनों में भी दौरों का स्वांग रचते हैं। उनके इस एकाकीपन और समय काटने की मजबूरी का खामियाजा पूरे प्रशासनिक अमले को भुगतना पड़ता है। कर्मचारियों और अफसरों के लिए यह अतिरिक्त बोझ बन गया है, क्योंकि उनके पास सीएस की तरह टाइम पास करने की विलासिता नहीं है। श्रीनिवास अपने नंबर बढ़ाने की कला में माहिर हैं। मुख्यमंत्री को गुलदस्ता भेंट करने से लेकर अपनी पब्लिसिटी के लिए फोटोग्राफरों की फौज साथ रखने तक, वे किसी भी अवसर को हाथ से नहीं जाने देते। खबर बनाने की यह कला और सोशल मीडिया ग्रुप्स में तुरंत वाहवाही लूटने की होड़ उनके पद की गरिमा को कमतर करती है।
राजस्थान आज फाइलों के जादूगर की नहीं, बल्कि एक ऐसे जुझारू और अनुभवी नेतृत्व की तलाश में है जो सिस्टम को फिर से पटरी पर ला सके। वरना, श्रीनिवास की यह खामोश और आत्ममुग्ध ईमानदारी प्रदेश को प्रशासनिक अराजकता की उस गर्त में धकेल देगी, जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं होगी।

राजस्थान सरकार मुख्य सचिव कार्यालय Most Urgent विषय - सोशल मीडिया फेसबुक पर लिखे गये भ्रामक एवं अपमानजनक आलेख हेतु श्री महेश झालानी, पत्रकार के विरूद्ध पुलिस थाना, अशोक नगर, जयपुर शहर दक्षिण, जयपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने बाबत । उपरोक्त विषयान्तर्गत दिनांक 26.04.2026 को इलैक्ट्रोनिक सोशल मीडिया फेसबुक पर प्रकाशित / प्रसारित संलग्न लेख अद्योहस्ताक्षरकर्ता एवं राज्य प्रशासन की छवि को भ्रामक एवं अपमानजनक रूप से प्रभावित करने वाला है। इस प्रकार के आपत्तिजनक प्रयासों को नियंत्रित करने हेतु इसके विरूद्ध विधिक कार्यवाही आवश्यक है।
अतः प्रश्नगत लेख तथा इस बाबत अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा मेटा / फेसबुक पर दर्ज रिपोर्ट की प्रतिलिपि संलग्न करते हुए निर्देशित है कि श्री महेश झालानी, पत्रकार के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 एवं साईबर क्राइम के संगत प्रावधानों के

GOVERNMENT OF ASSAM
POWER (ELECTRICITY) DEPARTMENT
DISPUR ::::::GUWAHATI-06
Block-A, 4th floor, Janata Bhawan

email:- power.assam@assam.gov.in :: website: https://power.assam.gov.in

No. PEL.726370/2 dated the 22nd Nov,2025

From : Sri Jadav Saikia, IAS
Secretary to the Govt. of Assam,
Power Department

To : The CGM (Commercial & EE)
Assam Power Distribution Company Limited

Subject : State government support to compensate loss on account of surplus power due to Adani Power Limited against LOA No- APDCL/CGM COM & EE)/TPT/45 Dated-13.11.2025 of power procurement from a new coal based power station 3200 MW(4x800 MW) .

Ref: Your letter no.APDCL/CGM (Com & EE)/TPT/Part 1/10 Dated 22.11.25

Sir,

In reference to the letter no. APDCL/CGM (Com & EE)/TPT/Part 1/10 Dated:22.11.25, it is observed that Adani Power Limited 3200 MW thermal power has been arranged strictly as per resource adequacy plan duly notified by CEA and approved by AERC. There is no possibility of surplus power scenario on account of procurement of 3200 MW thermal power. However, in view of the apprehensions raised by Coordination committee of Electricity Employees, Engineers & Pensioners, Assam, I am directed to convey that it is decided that State government will compensate APDCL for any kind of loss happens due to surplus power on account of commissioning of 3200 MW thermal plant.

This is for your kind information.

22/11

Secretary to the Govt. of Assam
Power Department

Memo No. PEL.726370/2-A Dated Dispur the 22-11-2025

Copy for kind information to:

1. P.S to Addl. Chief Secretary to the Govt. of Assam, Power Department.

By order etc.,

Secretary to the Govt. of Assam,
Power Department